

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 647-पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 26-3-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण क्रमांक 63/अपील/2013-14.

महंत रामकृष्णदास गुरु जगन्नाथ दास
पुजारी खेड़ापति हनुमान मंदिर
निवासी खेड़ापति हनुमान मंदिर, इंदौर

.....आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार, इंदौर

.....अनावेदक


श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-3-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पलासिया हाना तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 248/1/1, 248/1/2 एवं 248/2 कुल रकबा 1.352 हेक्टेयर वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में श्री खेड़ापति मन्दिर व्यवस्थापक कलेक्टर जिला इंदौर के नाम दर्ज है । उक्त भूमि पर आवेदक महंत रामकृष्णदास द्वारा अवैध निर्माण कर किराये पर दिया गया है, इस प्रकार आवेदक द्वारा






मंदिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 16-11-2012 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रश्नाधीन पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण पाये जाने से उन्हें बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये । साथ ही रूपये 1500/- अर्धदण्ड अधिरोपित किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13-9-2013 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26-3-2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।


3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उन्हें पूजा अर्चना करने के एवज में ईनाम के रूप में दी गई है, अतः संहिता की धारा 158 के अंतर्गत उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं, इसलिए संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर तहसील न्यायालय द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का वर्ष 1952 में नामांतरण हो चुका है, और 1987 में उसके द्वारा भूमि का डायवर्सन कराया गया है, तब से उसके द्वारा निरंतर डायवर्सन शुल्क जमा किया जा रहा है । इससे स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है, इसलिए तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का बिना सीमांकन कराये पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बना है, और मकान पर संहिता की धारा 248 लागू नहीं होती है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।






4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का ही कोई स्वत्व नहीं है, और उसके द्वारा अवैध निर्माण किया जाकर अतिक्रमण किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई भूल नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से जवाब प्रस्तुत कर इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान एवं शेड बने हैं, और मकान एवं शेड पर संहिता की धारा 248 लागू नहीं होती है। पटवारी द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि पर मकान, शेड एवं मिठाई कारखाने बने होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु तहसीलदार द्वारा इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बना होने से संहिता की धारा 248 लागू होता है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय के समक्ष यह आपत्ति भी ली गई थी कि प्रश्नाधीन भूमि का बिना सीमांकन किये पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा यद्यपि अपने आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि पटवारी द्वारा सीमांकन के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की गई है, और सीमांकन पंचनामा में भी सीमांकन किये जाने का उल्लेख है, परन्तु प्रश्नाधीन भूमि का वास्तव में सीमांकन नहीं किया गया है, क्योंकि तहसील न्यायालय के प्रकरण में सीमांकन पंचनामा एवं फील्डबुक संलग्न नहीं है। तहसीलदार के प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि उनके समक्ष आवेदक की ओर से उत्तर प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि वह प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है एवं उसके द्वारा भूमि का व्यपवर्तन कराया जाकर निरन्तर व्यपवर्तन शुल्क भी अदा किया जा रहा है। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि आवेदक की ओर से अधीक्षक, भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 56/अ-2/1980 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके प्रथम पृष्ठ पर सर्वे क्रमांक 247 एवं द्वितीय पृष्ठ पर सर्वे क्रमांक 248 अंकित है, और आवेदक की ओर से छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेख






करना उचित होगा कि यदि आवेदक की ओर से छायाप्रति प्रस्तुत की गई थी, तब तहसीलदार को न्यायहित में मूल प्रति आहूत कर निष्कर्ष निकालना चाहिए था, साथ ही इस स्थिति पर विचार करना था कि यदि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी नहीं है, तब व्यपवर्तन किन परिस्थितियों में किया गया है। स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि एवं न्याय की गम्भीर भूल की गई है। इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए, उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच कर प्रकरण में गुण-दोष पर विधि अनुकूल आदेश पारित करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-3-2015, अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-9-2013 एवं तहसीलदार, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-11-2012 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण तहसीलदार को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 774-पीबीआर/15 पर भी लागू होगा। अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये।




(मनाज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर